प्रेस नोट दिनाँक 27.08.2024

जनपद चन्दौली

---पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे ने पुलिस परिवार संग मनाई कृष्ण जन्माष्टमी:उतारी नन्द गोपाल की आरती
---विधि-विधान से कोतवाली चन्दौली में सम्पन्न हुई पूजा अर्चना,
---पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी के बच्चे कृष्ण की वेशभूषा में आये नजर
---चन्दौली में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम: जनपद के समस्त थानो पर दिखा भव्य नजारा

चन्दौली । श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पूरा चन्दौली कृष्णभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जहां घरों में कान्हा के जन्म के साथ बधाईं शुरू हुईं तो वहीं बैरक, पुलिस लाइन थानो की प्रमुख मंदिरों सहित समस्त थाना/चौकी में कान्हा का झांकियां सजाई गईं व झांकियों के माध्यम से पूजा की गई । जनपद के समस्त थानो पर धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा सोमवार की शाम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर जनपद के लगभग समस्त थानो पर सजाये गये मन्दिरो पर जा कर पूजा-अर्चना की तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे ने सोमवार की रात्रि को कोतवाली चन्दौली में जा कर पुलिस परिवार के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा,अर्चना व हवन कर भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया। वहीं बाल गोपाल की आरती उतारी। बच्चों को उपहार भेंट किए।

इस पूजा में अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक (आ0), विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) व राजेश कुमार राय क्षेत्राधिकारी सदर के साथ प्रतिसार निरीक्षक चन्दौली, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौली सहित पुलिस लाइन के समस्त अधिकारी/ कर्मचारी मौजुद रहे ।

जनपद के समस्त थानो पर हुई सजावट

श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जनपद के समस्त थानों को भव्य तरीके से सजाया गया। चन्दौली में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। रात 12 बजे कान्हा के जन्म लेते ही लोग उत्साहित हो उठे। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर थानो के बैरक में सजावट की गई। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया। झांकियां भी बनाई गईं भजन के लिए मंडली बुलाई गई थी। मंदिर में पंचऔषधि, पंचगव्य और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे जनपद के पुलिस थानों बैरेक और पुलिस लाइन में भी भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव पूरे हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मनाया गया ।

प्रेस नोट-दिनांक-27.08.2024
थाना इलिया जनपद चंदौली

□थाना इलिया पुलिस द्वारा 01 बजाज मैक्सिका वाहन में क्रूरतापूर्वक बांधकर ले जा रहे 02 राशि गोवंश बरामद व 01 अभियुक्त गिरफ्तार

चंदौली:-श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व राजीव सिसौदिया क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इलिया हरिश्चन्द्र सरोज के नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा 01 बजाज मैक्सिका वाहन से 02 राशि गोवंशीय पशुओ को क्रूरतापूर्वक वाहन में लादकर बिहार ले जा रहे 01 अभियुक्त को माल्दह नहर पुलिया वहद ग्राम माल्दह से गिरफ्तार कर गोवंशीय पशुओ को वाहन के साथ बरामद किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/2024 धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्त-
1.आकाश भारती पुत्र पप्पू भारती नि0 मुइली खास थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान-
माल्दह नहर पुलिया वहद ग्राम माल्दह बफासला 06 किमी दक्षिण पूरब थाना इलिया जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 90/2024 धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी-
02 राशि गोवंशीय पशु व 01 बजाज मैक्सिका वाहन- UP 65NT 8505

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम
1.प्रभारी निरीक्षक हरिश्चन्द्र सरोज थाना इलिया जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली
3.का0 प्रमोद कुमार थाना इलिया जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक 27.08.2024
जनपद चन्दौली

➡ श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में दहशत का पर्याय बने आपराधियो पर जनपदीय पुलिस की बड़ी कार्रवाई।

➡आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशो पर चन्दौली पुलिस ने कसा शिकंजा,11 अपराधियो पर की गयी हिस्ट्रीशीटर की कार्रवाई।

➡चोरी, लूट, डकैती, गौ-तस्करी, खनन माफिया, व भू-माफिया आदि प्रकार के अपराध को अंजाम देने वाले 11 अपराधियो की खोली गई हिस्ट्रीशीट

चन्दौली- जनपद में दहशत का पर्याय बने बदमाशों पर चन्दौली पुलिस ने सख्त कार्रवाई छेड़ दी है। विभिन्न थानों के ग्यारह बदमाशों का आपराधिक इतिहास देखते हुए उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने के साथ निगरानी भी पुलिस ने शुरू कर दी है। क्षेत्र में उनकी आपराधिक गतिविधियों व आपराध मे सक्रियता की भी जांच कराई जा रही है। ताकि, कोई भी हिस्ट्रीशीटर नई वारदात को अंजाम न दे पाए। अपराध में लिप्त अपराधियों को देखते हुए पुलिस ने अब नये सिरे से अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है थानें के अपराधियों का रिकार्ड खंगालकर उनके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने व गैंगस्टर आदि कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक (आप0), विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) व राजेश कुमार राय क्षेत्राधिकारी सदर, आशुतोष क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर, रघुराज क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, राजीव सिसौदिया क्षेत्राधिकारी चकिया, कृष्ण मुरारी शर्मा क्षेत्राधिकारी नौगढ़ के पर्यवेक्षण मे मुकेश तिवारी प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा, रमेश यादव प्रभारी निरीक्षक धीना, विजय बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय, धीरेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक चकरघट्टा, अतुल कुमार थानाध्यक्ष चकिया, मिर्जा रिजवान बेग थानाध्यक्ष शहाबगंज, अशोक मिश्रा थानाध्यक्ष बलुआ के नेतृत्व में थाना सैयदराजा, थाना धीना, थाना मुगलसराय, थाना चकिया, थाना चकरघट्टा, थाना शहाबगंज, थाना बलुआ द्वारा थाना क्षेत्र में चोरी, लूट, डकैती, गौ-तस्करी, खनन माफिया, व भू-माफिया आदि प्रकार के अपराध करने वालो के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये कुल 11 सक्रिय अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी ।

➡ थाना सैयदराजा
1.राहुल यादव पुत्र रामसहारे यादव निवासी ग्राम फेसुड़ा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
अपराध- डकैती डालना

➡ थाना धीना
2.अभिषेक मौर्या उर्फ अभिमन्यु पुत्र यशवन्त मौर्या निवासी ग्राम मांगलपुर थाना धीना जनपद चन्दौली
अपराध- लूट कारित करना

➡ थाना मुगलसराय

3.मोती सोनकर पुत्र सोवा सोनकर निवासी सतपोखरी (सोनकर बस्ती) थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
अपराध- चोरी करना
4. छोटेलाल उर्फ छोटक सोनकर पुत्र रामलाल सोनकर नि० दुलहीपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
अपराध- चोरी करना

➡ थाना चकिया
5.बूल्लू बिन्द पुत्र रामआधार बिन्द निवासी ग्राम छित्तमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली
अपराध- खनन माफिया

➡ थाना शहाबगंज
6.मंजय राम पुत्र श्रवण राम निवासी ग्राम केराडीह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
अपराध- गौ-तस्करी करना
7.सूरज चौहान पुत्र नखडू निवासी ग्राम केराडीह थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
अपराध- गौ-तस्करी करना
8.साहब सिंह पुत्र रामआसरे चौहान निवासी ग्राम भटरौल थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
अपराध- गौ-तस्करी करना

➡ थाना बलुआ
9.चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र लक्ष्मण गुप्ता निवासी ग्राम विसापर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
अपराध- चोरी करना

➡ थाना चकरघट्टा
10.सदानन्द पुत्र शिवनायक निवासी ग्राम देवदत्तपुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली
अपराध- भू-माफिया
11.रामजी यादव पुत्र जयराम यादव निवासी ग्राम मझगांई थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली
अपराध- भू-माफिया

उपरोक्त अपराधी अपने कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित/भयभीत करने के साथ चोरी, लूट, डकैती, गौ-तस्करी, खनन इत्यादि कृत्यों से अपने भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए धन अर्जित किया जाता है। इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई की गई है इन बदमाशों की क्षेत्र में सक्रियता पर भी पुलिस की बराबर नजर है। उनकी अन्य़ गतिविधियों आदि के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

प्रेस-नोट   जनपद चन्दौली
दिनांक-27.08.2024

◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान

◆बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों व अलार्म की भी परखी जा रही व्यवस्था

◆बैंक ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

चन्दौली- जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाग्हें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नही, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डयूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.08.2024
थाना बलुआ जनपद चन्दौली

थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 के साथ किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के गहन पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बलुआ अशोक कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त हर्ष मिश्रा पुत्र शिवमोहन मिश्रा निवासी ग्राम डेढ़वालिया थाना धानापुर जनपद चंदौली, को सराय मोड बहद ग्राम सराय के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बरामद हुआ। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 139/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही-
आज दिनांक 27.08.2024 को उ0नि0 शैलेश यादव मय बलुआ तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो के चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति जो अपराधिक प्रवृति का है,जो थाना धानापुर में बाइक चोरी का वांछित है वह बलुआ तिराहे से गंगा पुल की तरफ सराय गांव के मोड़ के पास कही जाने वाला है। इस सूचना पर विश्वास कर बतायी जगह पर पहुचे थे कि सामने से वह व्यक्ति आता हुया दिखायी दिया। हम पुलिस वालो को देखकर भागने चाहा, जिसे मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त का विवरणः-
हर्ष मिश्रा पुत्र शिवमोहन मिश्रा निवासी ग्राम डेढ़वालिया थाना धानापुर जनपद चंदौली उम्र लगभग 22 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-
1. 01 तमंचा 315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. नकदी-120 रु0/-

आपराधिक इतिहासः-
1. मु0अ0सं0- 139/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 64/24 धारा 411/413/419/420 थाना धानापुर जनपद चन्दौली

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1.उ0नि0 शैलेश कुमार यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 अभिषेक शुक्ला थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3.का0 रमेश चौहान थाना बलुआ जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 27.08.2024
जनपद चन्दौली

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस
□"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत आबकारी अधिनियम के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहितपुरी अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0 चकिया) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी
जनपद चन्दौली थाना बबुरी के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 02.01.2000 को धारा 60 आबकारी अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राजेश कुमार प्रजापति पुत्र पांचू राम प्रजापति निवासी बबुरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 01/2000 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बबुरी में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना बबुरी के पैरोकार आरक्षी सत्य प्रकाश की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 27.08.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहितपुरी अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0 चकिया) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त 1.राजेश कुमार प्रजापति पुत्र पांचू राम प्रजापति निवासी बबुरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

प्रेस नोट दिनांक 27.08.2024
जनपद चन्दौली

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस
□"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत एनडीपीएस एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन सिविल जज (जू0डि0/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी
जनपद चन्दौली थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 25.12.2001 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.जमील अहमद उर्फ बया पुत्र गफूर निवासी कसाब महाल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 411/2001 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मु0आ0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 27.08.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन सिविल जज (जू0डि0/एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त 1.जमील अहमद उर्फ बया पुत्र गफूर निवासी कसाब महाल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.08.2024
थाना साइबर क्राइम जनपद-चन्दौली

साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा साइबर पीड़ित के 8500/-रूपये कराये गये वापस

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार मय साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदिका सबीना बानो पुत्री सुकुरुल्लाह अंसारी निवासी ग्राम डेवढिल सदलपुरा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली का फ्राड तरीके से 8500/- रुपये की आनलाइन धोखाधडी की गयी थी।

जिसके सम्बन्ध में आवेदिका सबीना बानो उपरोक्त द्वारा के थानाध्यक्ष साइबर क्राइम समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 8500/- रुपये को आवेदक के खातें में वापस करायी गयी। आवेदिका सबीना बानो उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम एंव साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

नाम पता आवेदिका-
सबीना बानो पुत्री सुकुरुल्लाह अंसारी निवासी ग्राम डेवढिल सदलपुरा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-
वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 8500/-

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
उ0 नि0 वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)
हे0का0 पवन कुमार यादव
का0 सन्तोष कुमार यादव
का0 मनोज चौहान
का0 अनिल कुमार
का0 आशुतोष भारद्वाज

प्रेस नोट-दिनांक: 27.08.2024
यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 02 दिवस में कुल 296 वाहनों का चालान करते हुए 4,30,300/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.08.2024 से दिनांक 27.08.2024 तक जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 296 वाहनों का चालान करते हुए 4,30,300/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या	**यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार**	**चालान की संख्या**
1	बिना सीट बेल्ट- 02	

2 ड्राइविंग के समय मोबाईल का प्रयोग- 02

3 बिना हेलमेट- 129

4 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी- 33

5 नो पार्किंग- 65

6 गलत नम्बर प्लेट- 06

7 लाइसेंस ना होना- 05

8 गलत दिशा - 14

9 बेबजह हॉर्न बजाना- 00

10 बिना फिटनेस- 08

11 बिना बीमा- 08

12 बिना परमिट- 11

1 अन्य- 13

यातायात नियमों के उलंघन में 02 दिवस में की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-296

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-4,30,300/- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक-27.08.2024
जनपद: चन्दौली

□चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त
□संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग
□पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:- श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगामी त्योंहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

प्रेस नोट दिनांक- 27.08.2024
जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान
□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 28 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क पर, कार में, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके और आपकी वजह से दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें जानते सब हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी दिखाने, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 26.08.2024 व 27.08.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 28 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।